श्री सत्यनारायण छीपा, क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई

दिनांक 16.12.2024 समयः प्रातः 11:30 बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत, शोभजी का गुड़ा, ग्राम–बोडकी, तहसील–लसाडिया, जिला – सलूम्बर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 29.10.2024 एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्र में दिनांक 29.10.2024 को प्रकाशित करवा दी गई है।

यह जनसुनवाई "**श्री सत्यनारायण छीपा**" द्वारा प्रस्तावित **क्वार्ट्ज, फेल्सपार** खनन परियोजना (एम.एल. न. 02/2022 (लीज क्षेत्र 1.9477हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 29.8761 हैक्टेयर, कलस्टर की प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 26,61,094 TPA (ROM) एवं एम.एल.न. 02/2022 की प्रस्तावित क्वार्ट्ज, फेल्सपार उत्पादन क्षमता 2,63,032 TPA (ROM) निकट ग्राम–बोडकी, तहसील – लसाडिया एवं जिला – सलूम्बर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। उक्त प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 118 लाख है।

अतः परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुन तत्पश्चात् आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आप अपना नाम तथा गांव का नाम बताए साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्ध करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत तैयार किए जायेंगे जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 21.04.2023 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए परियोजना प्रस्तावक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री रवि कुमार द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ई रिपोर्ट संबंधित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की संलग्नक ''ब''के अनुसार है।

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री शुभम जी निवासी ग्राम कुण :–

मैं यह जानना चाहता हू की जो भी प्रावधान आपने बताए, पौधारोपण, वन्यजीव संरक्षण और अन्य जानकारी ये सभी कार्य आने वाले समय में किए ही जाएगें इसकी क्या जिम्मेदारी है।

पर्यावरणीय सलाहकारः–

जो भी प्रावधान आज यहा बताए गए है जिसमें पौधारोपण एवं समाज कल्याण के कार्य शामिल है वे सभी कार्य करने हेतु परियोजना प्रस्तावक बाध्य है क्यो कि जो पर्यावरणीय स्वीकृती परियोजना को प्राप्त होगी उसमे ये सभी बाते सशर्त लिखी होती है। जिसको परियोजना प्रस्तावक को करना ही होता है तथा इन सभी शर्तो की अनुपालना रिपोर्ट भी हर 6 माह में इनको सम्बिधित विभागो में जमा करवानी पडेगी।

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर ,सलूम्बर :–

अगर ये फिर भी ये कार्य नही करते है तो एवं इसकी मोनिटरिग किस तरह से कि जाएगी।इसके लिए खनन परियोजना पर कितनी बार विजिट के लिए जाते है। पौधारोपण कहा पर किया जाएगा।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल,वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म, उदयपुरः–

इस हेतु मेडम अनुपालना रिपोर्ट इनको हर 6 माह में देनी होती है जो की सम्बधित विभागो द्वारा जांच कि जाती है जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल विभाग भी है। तथा पाल्यूशन विभाग मुख्यतः पौधारोपण पर अधिक ध्यान देता है। एवं इ.सी के बाद इनको सम्मति लेनी होती है उसमे भी ये सभी शर्ते लिखी होती हैं। जो की अगर पूरी नही होती है। तो फिर नोटिस देकर पालना को कहा जाता है। तथा खनन परियेाजना के क्षेत्रफल के आधार पर उसकी निरीक्षण की आकृति निर्धारित की जाती है। तथा खनन क्षेत्र के 33 प्रतिशत भाग पर इनको पौधारोपण करना होता है एवं समय समय पर राज्य सरकार के आदेश के अनुसार भी करना होता है। पौधारोपण खनन क्षेत्र अथवा आस पास गाँव में पचांयत भूमि, सामूदायिक केन्द्र पर लगाए जा सकते है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, सलूम्बर :–

कितने पेड लगाए जाएगे।

पर्यावरणीय सलाहकारः–

परियोजना के क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत भाग में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित हैं। एवं इस प्रकार 650 पौधो का लगाया जाना प्रस्तावित है।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल,वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म, उदयपुर :–

ठीक है आप सभी पधारे, आपका धन्यवाद।

श्री कुंज बिहारी पालीवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकॉर्डिंग सी.डी (परिशिष्ठ "स" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ठ "द" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद **वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, रा.प्र.नि.म., उदयपुर** महोदय ने **अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सलूम्बर** को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला – सलूम्बर

(कुंज बिहारी पालीवाल)
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
क्षे.का., रा.प्र.नि.म., उदयपुर

वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

श्री सत्यनारायण छीपा, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार (एम. एल. नं. 02/2022, क्षैत्रफल– 1.9477 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 2661094 TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार उत्पादन क्षमता 263032 TPA निकट ग्राम– बोड़की, तहसील–लसाड़िया, जिला–सलूम्बर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 16.12.2024 को प्रातः 11.30 AM बजे, कार्यालय ग्राम पंचायत, शोभजी का गुड़ा, तहसील–लसाड़िया, जिला–सलूम्बर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत	ADM, Salumber	[signature]
2.	कृष्ण बिहारी पालीवाल	वरिष्ठ पर्या. अभियंता, रा. रा. प्र. नि. मंडल, उदयपुर	[signature]
3.	सी. पी. जोनवार	रा. प्र. नि. म. उदयपुर	[signature]
4.	सत्यनारायण छीपा	आसीन्द भीलवाड़ा राज	सत्यनारायण
5.	महेन्द्र कोठारी	17, तिलक नगर उदयपुर	[signature]
6.	Ravi Kumar / Vibrant Technolab Pvt Ltd	Environment Consultant	[signature]
7.	नानूराम (नानूराम जाट)	बोड़की	नानूराम
8.	आशुराम जाट	बोड़की	आशुराम
9.	शैतानसिंह राजपूत	बोड़की	शैतानसिंह
10.	नाथूलाल मीणा	बोड़की	नाथूलाल
11.	युवराज सिंह सोलंकी	भिण्डर	युवराज
12.	कामनाथ आज़म	उदयपुर	[signature]
13.	माधु जाट	शोभ जी का गुडा	
14.	मानमल मीणा	शोभ जी का गुड़ा	मान
15.	भगाराम	बोड़की	भगाराम
16.	बगरू तिला	बोड़की	[signature]
17.	शम्भूलाल	बोड़की	शम्भूलाल
18.	करण सिंह	बोड़की	करण सिंह
19.	विष्णु कुमार छीपा	भीलवाड़ा	[signature]
20.	शंकर लाल	बोड़की	शंकर लाल
21.	कैलाशचन्द छीपा	आसीन्द	कैलाशचन्द

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
22.	रामप्रकाश मंगानिया	भीलवाड़ा	
23.	दिनेश कुमार दीपा	भीलवाड़ा	
24.	Dal Chand Dangi	Udaipur	
25.	छुड़ी बाई	शोभ जी का गुड़ा	
26.	मोहली बाई	शोभ जी का गुड़ा	प्रेम जी
27.	कमली बाई	शोभ जी का गुड़ा	कमली
28.	प्यारी बाई	शोभ जी का गुड़ा	
29.	कमली बाई	शोभ जी का गुड़ा	
30.	भमरी बाई	शोभ जी का गुड़ा	भमरी
31.	राजमोहन	बोरखेड़ा	राजम
32.	गंगाराम	शोभ जीका गुड़ा	
33.	महावीर वैष्णव	नेगड़िया	महावीर
34.	श्रवण	आमेट	श्रवण
35.	प्रवीण	बोडकी	प्रवीण
36.	उदी बाई	शोभ जी का गुड़ा	
37.	नारायण	मानकला	नारायण

ल एसडीओ, बांसवाड़ा
एसडीओ, भीम, राजसमंद
त एसडीओ, सिरोही
उपनिदेशक, संपदा विभाग, जीएडी, जयपुर
चौहान एसडीओ, चौहटन, बाडमेर
सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी, जयपुर-प्रथम
धरी एसडीओ, गंगरार, झालावाड़
खटाना एसडीओ, कैशोरायपाटन, बूंदी
वत सहायक कलक्टर, जयपुर-द्वितीय
संह राणावत एसडीओ, पाली

पुर में चार बार दी गई विमानों को ड़ाने की धमकी, 4 मामले दर्ज

योति/जोधपुर। देश भर में असामाजिक तत्वों की ओर से ाज को उड़ाने की धमकियों के बीच जोधपुर में भी आनेऔर ी फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। एयरपोर्ट ने अब चार अलग अलग प्रकरण पुलिस में दर्ज कराएं हैं। एयरपोर्ट जोधपुर के मैनेजर नरेन्द्र सिंह बांकावात ने पुलिस या, 20 अक्टूबर को दोपहर सवा एक बजे अज्ञात व्यक्ति हैंडल पर पुणे से जोधुपर आने वाली इंडिगो फ्लाइट नंबर 3 को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। 22 अक्टूबर को 4 बजे अज्ञात व्यक्ति ने जी.मेल पर हैदराबाद से जोधपुर ली इंडिगो फ्लाइट 6 ई 297 को बम से उड़ाने की धमकी अक्टूबर को जी.मेल पर पुणे से जोधपुर आने वाली इंडिगो नम्बर 6 ई 133 को बम से उड़ाने की दी गई। इसके अलावा चौथी बार में 25 को धमकी गई थी सहायक मैनेजर सिक्यूरिटी संह भंडारी ने मामला दर्ज करवाया। इनके 25 अक्टूबर को दोपहर अज्ञात व्यक्ति टिव्टर पर पुणे से जोधुपर आने वाली फ्लाइट 6 ई 133 को बम से उड़ाने की दी।

री पर बदमाशों ने किया हमला

त सर्विस/नवज्योति, भरतपुर। कोर्ट आए नई मण्डी निवासी तेल व्यापारी पर सोमवार 1 बजे व्यस्ततम क्षेत्र मानसिंह सर्किल के बदमाशों हमला कर उन्हें गम्भीर रूप से कर दिया। जानकारी के अनुसार नई मंडी तेल व्यापारी दीनदयाल किसी काम से ाए थे, तभी मानसिंह सर्किल पर बाइक बदमाशों ने उन्हें मारपीट कर गम्भीर रूप ल कर दिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारी इसेंसी पिस्टल छीनने का प्रयास किया छीना छपटी में पिस्टल गिर गई। मौके पर व आसपास के लोगों को आता देख बदमाश ए।

पत्र क्रमांक:-उप आ.आ./वृत्त-उदय/2024-25/736 ... पारस तिराहा सेक्टर-11, उदयपुर- 313001) ...उदयपुर, वृत्त- उदयपुर
दिनांक: 23/10/2024

जाहिर आम सूचना (दोहरा रजिस्ट्री)

आवास संख्या C-32 आयवर्ग HIG माप 189.00 वर्ग मीटर योजना दक्षिण विस्तार आवासीय योजना-बलिचा शहर उदयपुर द्वारा श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल को आवंटन पत्रांक 1189 दिनांक 05.11.2012 को आवास का आवंटन कर दिनांक 29.11.2012 को कब्जा दिया गया था। इस आवास का अदेय प्रमाण-पत्र 1696 दिनांक 17.12.2012 को जारी किया गया एवं प्रथम रजिस्ट्री दिनांक 18.12.2012 को श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित करवाई गई। पंजीयन उपरान्त श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल पत्नी श्री संजय अग्रवाल ने उक्त आवास का मुख्तियार नामा आम (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 21.03.2012 को श्री नईम अहमद पुत्र श्री अब्दुल जब्बार एवं श्री नदीम चिश्ती पुत्र श्री सहाबुद्दीन चिश्ती को संयुक्त रूप से नियुक्त किया गया। श्री नईम अहमद पुत्र श्री अब्दुल जब्बार एवं श्री नदीम चिश्ती पुत्र श्री सहाबुद्दीन चिश्ती ने मुख्तियार नामा आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 18.12.2012 को श्री नदीम चिश्ती पुत्र श्री सहाबुद्दीन चिश्ती को किया गया। कार्यालय के पत्रांक 445 दिनांक 30.04.2013 द्वारा श्री नदीम चिश्ती पुत्र श्री सहाबुद्दीन चिश्ती के नाम कार्यालय आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् श्री नदीम चिश्ती पुत्र श्री सहाबुद्दीन चिश्ती ने पुनः उक्त आवास का बैचान विक्रय पत्र (पंजीकृत) आलेखित कर दिनांक 12.09.2024 को श्री रमेश नागदा पुत्र श्री गौरीशंकर नागदा को किया गया। श्री रमेश नागदा पुत्र श्री गौरीशंकर नागदा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया। श्री रमेश नागदा पुत्र श्री गौरीशंकर नागदा ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र मण्डल के निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर दिया जावें। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या C-32, दक्षिण विस्तार आवासीय योजना, उदयपुर का नामान्तरण श्री रमेश नागदा पुत्र श्री गौरीशंकर नागदा के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त- उदयपुर

DNU 333738

भीम

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफः 470.यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com, फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय: श्री सत्यनारायण छीपा, एम.एल.न. 02/2022 (क्षेत्रफल 1.9477 हैक्टेयर)''क्वार्टज एवं फैल्सपार, ग्राम-बोड़की, तहसील-लसाड़िया, जिला-सलूम्बर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सत्यनारायण छीपा, एम.एल.न. 02/2022 (क्षेत्रफल 1.9477 हैक्टेयर) ''क्वार्टज एवं फैल्सपार, ग्राम बोड़की, तहसील-लसाड़िया, जिला-सलूम्बर प्रस्तावित परियोजना क्वार्टज एवं फैल्सपार माईन्स (एम.एल.न. 02/2022, क्षेत्रफल 1.9477 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,63,032 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध हैं:- 1) कार्यालय जिला कलेक्टर, सलूम्बर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय - 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सलूम्बर। 6) उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया, जिला-सलूम्बर। 7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प्र (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 16.12.2024 (सोमवार) को प्रातः 11:30 बजे, ग्राम पंचायत, शोभजी का गुड़ा, ग्राम बोड़की, तह. लसाड़िया, जिला-सलूम्बर में उपस्थित होकर अपने सुझाव / आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।
साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

DNU 333742

को किया गया। श्री संजय देवराज पुत्र श्री सी. देवराज एवं श्री सी. देवराज पुत्र श्री सी. चन्द्रायन ने पुनः उक्त आवास का बैचान विक्रय-पत्र (पंजीकृत) द्वारा दिनांक 29.08.2024 को श्रीमती मुन्ना देवी टांक पत्नी श्री मदनलाल टांक को किया गया। श्रीमती मुन्ना देवी टांक पत्नी श्री मदनलाल टांक ने प्रार्थना पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र, विक्रय-पत्र (पंजीकृत) मण्डल के निर्धारित प्रपत्रो में प्रस्तुत कर इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उक्त आवास को उनके नाम कर नाम प्रतिस्थापन्न कर दिया जायें। अतः इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 10 दिवस के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को सूचित करे अन्यथा आपत्ति नहीं होने के कारण आवास संख्या 1/286, भुवाणा आवासीय योजना, उदयपुर का नामान्तरण श्रीमती मुन्ना देवी टांक पत्नी श्री मदनलाल टांक के पक्ष में हस्तानान्तरण कर मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत- उदयपुर

DNU 333766

NIB CODE :- DLB2425A35
UBN No. :- DLB2425SLR

निविदा क
कुल निविद
निविदा की अनु
निविदा प्रकाश
निविदा डाउलो
ऑनलाईन निविदा प्रस्तु
भौतिक रूप से डिमाण्ड ड्र
ऑनलाईन निविद
ऑनलाईन निवि

राज.संवाद / सी / 24 / 706

कार्यालय नगरपालिका मण्डल

क्रमांक :- न.पा.सु./ई-निविदा/2024/10279

ई-निविदा आमं

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सुमेरपुर द्वार
हेतु इच्छुक विनिर्दिष्ठत बोलीदाता / संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्र
अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948,वस्तु एवं सेवा क
1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम
ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नही किया जायेगा, से
तकनिकी बोली प्रस्ताव एवं वित्तिय बोली प्रस्ताव ई-प्रोक्युरमेंट ऑन-लाई

NIB code DLB2425A3584 and UBN is: DLB2425SLOB11275

क्र. सं.	सेवा / सामग्री / कार्य का विवरण	अनु. लागत (रु. लाख
1.	अनुबंधित श्रमिक सफाईकर्मी (वार्ड संख्या 15 से 21 तक)	24.9

Tender S

S. No.	Schedule
1	NIT Publishing Date
2	Document Download Start date & Bid Submission Start
3	Document Download End date & Bid Submission Closin
4	DD Submission in office End Date
5	Technical Bid Opening Date
6	Financial Bid Opening Date

निविदा की सामान्य शर्तेः-

1. निविदा प्रपत्रों को http://eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट से ऑन
   संवेदको को निविदा इलेक्ट्रोनिक फारमेट में वेब साईट http://eproc
2. समस्त कार्यो की धरोहर राशि कार्य की अनुमानित लागत पर नगर प
   संवेदको द्वारा 2 प्रतिशत राशि पृथक पृथक रूप में डीडी / बैंकर्स चैव
   जमा करानी होगी।
3. निविदा संबधी अन्य शर्ते पालिका कार्यालय एवं ई-टेण्डर की आनल
4. पालिका कार्यालय में संवेदक द्वारा 28.10.2024 से दिनांक 12.11.2
   निविदा प्रपत्र को देखा जा सकता है अथवा वेबसाईट http://eproc.
5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि अधिशाषी अधिका
   Managing Director,RISL payble at Jaipur के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट
   जमा करवाना आवश्यक है। उसके बाद आने वाली डिमाण्ड ड्राफ्ट र
6. (अ) निविदा प्रपत्रों को इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में वेब साईट http://ep
   करवाये जा सकते है एवं प्राप्त निविदाएं, इलेक्ट्रोनिक फॉरमेट में
   पालिका सुमेरपुर द्वारा Technical Bid दिनांक 13.11.2024 को 4 प
   खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश उस दिन राजकीय अवकाश
   (ब) निविदा जमा करवाना एवं उसके बाद निविदा की समस्त प्रक्रिया ऑ
7. निविदा में संशोधन निविदा जारी करने के उपरान्त http://eproc.ra
   वेब (ई-मेल) पर संशोधन / स्पष्टीकरण को प्राप्त नही करने के संब

राज.संवाद/सी/24/7066